"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015—वैशाख 25, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, के. एम. अनीश दास पिता श्री के. के. मोहन दास, आयु 29 साल, निवासी-1/7, मिनी एल. आई. जी., नेहरू नगर (पूर्व) भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अनीश दास पिता श्री के. के. मोहन दास दर्ज है जबकि मेरा पूरा नाम के. एम. अनीश दास है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम के. एम. अनीश दास रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे के. एम. अनीश दास पिता श्री के. के. मोहन दास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अनीश दास
पिता-श्री के. के. मोहन दास
निवासी-1/7, मिनी एल.आई.जी., नेहरू नगर (पूर्व)
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

के. एम. अनीश दास
पिता-श्री के. के. मोहन दास
निवासी-1/7, मिनी एल.आई.जी., नेहरू नगर (पूर्व)
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रिंस पड्डा पिता श्री बलबीर सिंग पड्डा, निवासी-मकान नं. 195, संगम चौक, खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मैं मनजोत सिंग पड्डा के नाम से जाना जाता था तथा मेरे सभी रिकार्ड में मनजोत सिंग पड्डा दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रिंस पड्डा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्रिंस पड्डा पिता श्री बलबीर सिंग पड्डा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मनजोत सिंग पड्डा पिता-श्री बलबीर सिंग पड्डा निवासी-मकान नं. 195, संगम चौक, खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	प्रिंस पड्डा पिता-श्री बलबीर सिंग पड्डा निवासी-मकान नं. 195, संगम चौक, खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डेकेश्वर सिंह ठाकुर पिता स्व. पुरूषोत्तम सिंह ठाकुर, उम्र 47 वर्ष, निवासी-पंचशील नगर, चन्द्रशेखर आजाद स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 01, नयापारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र आनंद सिंह ठाकुर जिसकी जन्मतिथि 24-06-2007 है का जन्म प्रमाण पत्र में ऋषिराज सिंह ठाकुर दर्ज है जबकि शाला अभिलेख में आनंद सिंह ठाकुर दर्ज है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम आनंद सिंह ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को आनंद सिंह ठाकुर पिता श्री डेकेश्वर सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
ऋषिराज सिंह ठाकुर (Rishiraj Singh Thakur) पिता-श्री डेकेश्वर सिंह ठाकुर निवासी-पंचशील नगर, चन्द्रशेखर आजाद स्कूल के पीछे वार्ड नं. 01, नयापारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	आनंद सिंह ठाकुर (Anand Singh Thakur) पिता-श्री डेकेश्वर सिंह ठाकुर निवासी-पंचशील नगर, चन्द्रशेखर आजाद स्कूल के पीछे वार्ड नं. 01, नयापारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डेकेश्वर सिंह ठाकुर पिता स्व. पुरूषोत्तम सिंह ठाकुर, उम्र 47 वर्ष, निवासी-पंचशील नगर, चन्द्रशेखर आजाद स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 01, नयापारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री कु. अंजली ठाकुर जिसकी जन्मतिथि 19-06-2009 है का जन्म प्रमाण पत्र में कु. राशी ठाकुर दर्ज है जबकि शाला अभिलेख में कु. अंजली ठाकुर दर्ज है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम कु. अंजली ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. अंजली ठाकुर पिता श्री डेकेश्वर सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. राशी ठाकुर (Ku. Rashi Thakur) पिता-श्री डेकेश्वर सिंह ठाकुर निवासी-पंचशील नगर, चन्द्रशेखर आजाद स्कूल के पीछे वार्ड नं. 01, नयापारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	कु. अंजली ठाकुर (Ku. Anjali Thakur) पिता-श्री डेकेश्वर सिंह ठाकुर निवासी-पंचशील नगर, चन्द्रशेखर आजाद स्कूल के पीछे वार्ड नं. 01, नयापारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गीतांजली देवी ठाकुर पति श्री डेकेश्वर सिंह ठाकुर, उम्र 38 वर्ष, निवासी-पंचशील नगर, चन्द्रशेखर आजाद स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 01 नयापारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. खेमिन सिंह राजपूत पिता श्री द्वारिका सिंह राजपूत था. मेरा विवाह दिनांक 30-06-2006 को हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति गीतांजली देवी ठाकुर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति गीतांजली देवी ठाकुर पति श्री डेकेश्वर सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. खेमिन सिंह रापजूत (Ku. Khemin Singh Rajpoot) पिता-श्री द्वारिका सिंह राजपूत निवासी-ग्राम-गुमानपुर, पो.आ.-मुढ़ीपार तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	श्रीमति गीतांजली देवी ठाकुर (Smt. Geetanjali Devi Thakur) पति-श्री डेकेश्वर सिंह ठाकुर निवासी-पंचशील नगर, चन्द्रशेखर आजाद स्कूल के पीछे वार्ड नं. 01, नयापारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनिल भाई परमार पिता श्री प्रयागजी भाई परमार, उम्र 51 वर्ष, निवासी दयालबंद बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र जय परमार (Jay Parmar) जो कि वर्तमान में डी.ए.व्ही. स्कूल बिलासपुर में कक्षा नवमी में अध्ययनरत है के शैक्षणिक अभिलेखों में जय भाई परमार (Jai Bhai Parmar) दर्ज है जिसमें जय के अंग्रेजी स्पेलिंग त्रुटियुक्त है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम जय परमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को जय परमार (Jay Parmar) पिता श्री अनिल भाई परमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
जय भाई परमार (Jai Bhai Parmar) पिता-श्री अनिल भाई परमार निवासी-दयालबंद बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.) 495001	जय परमार (Jay Parmar) पिता-श्री अनिल भाई परमार निवासी-दयालबंद बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.) 495001

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2015

प्र. क्र./04/ब-113 (1) /वर्ष 2014-15

क्रमांक/670/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ. नीलम कालडा द्वारा "हार्दिक सुनील फाउण्डेशन ट्रस्ट" कालडा प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, राजकुमार कालेज मेन गेट के सामने जी.ई.रोड रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ.ग. लोक

न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 24-04-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 17-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"हार्दिक सुनील फाउण्डेशन ट्रस्ट" कालडा प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, राजकुमार कालेज मेन गेट के सामने जी.ई.रोड रायपुर तहसील व जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	14,522/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला-बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उ.प.ज./परिसमापन/2015/855.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/125 दिनांक 31-03-2014 के द्वारा प्राथमिक बस्तर विकास सहकारी समिति मर्या. सिवनी, विकासखंड बस्तर, जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक/DR/BTR/530 दिनांक 05-11-2007 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार, स.वि.अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.